



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड



सीसीए के लिए सुचना

रेल मंत्रालय ने आदेश संख्या ईआरबी-1/2022/23/06 दिनांक 09.02.2022 के अनुसार 26.01.2022 को गठित समिति के "संदर्भ की शर्तों" में रेलवे में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अपरेंटिस (सीसीए) के मुद्दों को शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षता अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अब निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

- रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीए को लेवल-1 भर्ती के लिए सीबीटी आयोजित करने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में रेलवे प्रतिष्ठानों में उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण के लिए उचित महत्व दिया जाएगा।
- रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीए को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

दिनांक: 11.03.2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड